मदन लाल कपूर

बनाम

राजीव थापर एवं अन्य

31 अगस्त, 2007

[सी. के. ठक्कर एवं मार्कंडेय काटजू, जे. जे.]

आपराधिक न्याय का प्रशासन- अनुपस्थिति के कारण उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया- अभिनिर्धारित एक आपराधिक अपील/पुनरीक्षण याचिका को व्यतिक्रम के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है- यदि नोटिस के बावजूद न तो अपीलकर्ता/प्रार्थी और न ही उसका अधिवक्ता उपस्थित होता है, तो अदालत को गुणावगुण के आधार पर मामले का निस्तारण करना चाहिए- इसके अतिरिक्त, मौजूदा प्रकरण में, मुकदमे के पहले दौर में सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि उच्च न्यायालय द्वारा विवेक का उपयोग करते हुए एवं एक तर्कसंगत आदेश पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए- आक्षेपित आदेश में कोई कारण नहीं हैं, एवं गुणावगुण पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है- उच्च न्यायालय के आदेश को

अपास्त कर दिया गया -गुणावगुण के आधार पर मामले को शीघ्र निस्तारण के लिए उच्च न्यायालय में पुन: प्रेषित कर दिया गया।

बनी सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1996] 4 एस. सी. सी. 720 एवं परशुराम पटेल एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य, [1994] 4 एस. सी. सी. 664, पर निर्भर था।

राम नरेश यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर.(1989) एस.सी. 1500, पहले ही पलट दिया गया है। राम नरेश यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर. (1989) एस. सी. 1500, पहले ही पलट दिया गया है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील सं. 1150/ 2007

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 42/2000 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 11.08.2005 से।

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 42/2000 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 11.08.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से राहुल चौधरी और श्री पाल सिंह।

उत्तरदाता की ओर से राजीव दत्ता, बी. एस. जैन, अजय वीर सिंह और विपिन गुप्ता।

न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया।

आदेश

1. उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. अनुमति प्रदान की गई।

3. यह अपील आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 42/2000 दिनांक 11 अगस्त 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, आदेश निम्नानुसार है;

> "नोटिस के बावजूद, आज याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं। तदनुसार आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 42/2000 को उपस्थित न होने पर, उक्त उपस्थित होने में हुए व्यतिक्रम के कारण खारिज किया जाता है।"

4. मामला आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा माना गया है, किसी आपराधिक मामले को व्यतिक्रम के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है और इसका निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। केवल इसी आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. इस प्रकार बनी सिंह एवं अन्य बनाम यूपी राज्य, [1996] 4 एससीसी 720, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि एक आपराधिक अपील को व्यतिक्रम के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना चाहिए। यदि नोटिस के बावजूद न तो अपीलकर्ता और न ही उसकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित होता है, तो न्यायालय को अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना चाहिए। यदि अपीलकर्ता जेल में है तो न्यायालय उसकी सहायता के लिए राज्य खर्च पर वकील नियुक्त कर सकता है। यह प्रत्यर्थी पर भी समान रूप से लागू होगा।

6. बनी सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सुप्रा) में उच्चतम न्यायालय ने राम नरेश यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य, एआईआर (1989) एससी 1500 में पारित अपने पूर्व के फैसले को पलट दिया, जिसमें यह माना गया था कि आपराधिक अपील को व्यतिक्रम के लिए खारिज किया जा सकता है।

7. परसुराम पटेल एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य, [1994] 4 एससीसी 664 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि आपराधिक अपील को व्यतिक्रम के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है।

8. हमारी राय में यही तर्क आपराधिक पुनरीक्षण पर भी लागू होता है, और इसलिए किसी आपराधिक पुनरीक्षण को भी व्यतिक्रम होने पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

9. हालाँकि, एक अतिरिक्त कारण यह भी है कि पहले जब याचिका खारिज कर दी गई थी, तो पीड़ित अपीलकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और 2002 की आपराधिक अपील संख्या 309 में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने 22 फरवरी, 2002 के आदेश द्वारा अपील स्वीकार की थी एवं उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया और कहा कि इस मामले का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा विवेक का उपयोग कर एवं तर्कसंगत आदेश पारित करते हुए किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, आक्षेपित आदेश में कोई कारण नहीं है और गुणावगुण पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

10. अत: अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाकर मामले को वापस उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। उच्च न्यायालय इस मामले का फैसला गुणावगुण के आधार पर करेगा। चूंकि प्रकरण अत्यधिक पुराना है, इसलिए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह इस पर यथाशीघ्र निर्णय करें, अधिमानत: चार महीने की अवधि के भीतर निर्णय करें।

11. तद्नुसार अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्वेता दाधिच (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।